उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

Vol. 2, अंक : 4 ₹ 20/- 16-31 जुलाई से 1-15 अगस्त, 2018 (संयुक्तांक)

निदा खान को इस्लाम से खारिज करने वालों के खिलाफ मुकदमा

और पढ़ें...

- देश में शरई अदालतें स्थापित करने की शुरूआत
- सउदी अरब से लाखों के पलायन की तैयारी
- डेनमार्क में नकाब पर प्रतिबंध
- जमीयत उलेमा ए हिन्द में फूट

RNI No. DELHIN/2017/72722

Vol. 2, अंक 4

16-31 जुलाई से 1-15 अगस्त, 2018

(संयुक्तांक)

परामर्शदाता
प्रो. राकेश सिन्हा

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह, आशीष रावत

प्रसार
सुधीर कुमार सिंह
(9810821308, 011-26524018)

कार्यालय
डी-51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : indiapolicy@gmail.com
वेबसाईट : www.indiapolicyfoundation.org

मुद्रक एवं प्रकाशक मनमोहन शर्मा द्वारा
भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए
डी-51, प्रथम तल, हौज खास,
नई दिल्ली-110016 से प्रकाशित
तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा. लि., ए 102/4,
ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-II,
नई दिल्ली-110020 से मुद्रित।

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

विषय-सूची

सारांश

राष्ट्रीय

I. निदा खान को इस्लाम से खारिज करने वालों के खिलाफ मुकदमा
II. देश में नई शरई अदालतें स्थापित करने की शुरूआत
III. राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी कहने से नया विवाद
IV. न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में मारपीट
V. मॉब लिंचिंग पर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रूख
VI. मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी संशोधन का विरोध

पश्चिमी एशिया

I. सउदी अरब से लाखों के पलायन की तैयारी
II. ईरान नें अमेरिका का ठुकराया प्रस्ताव
III. सीमावर्ती चौकी पर आतंकी हमला
IV. कवियत्री को सजा
V. सउदी अरब पर जेल में बंद नेताओं की रिहाई के लिए दबाव
VI. मिस्र में अनेक लोगों को फांसी
VII. पादरी को रिहा ना करने पर तुर्की को धमकी
VIII. कुख्यात् आतंकवादी की बेटी से निकाह

विश्व

I. डेनमार्क में नकाब पर प्रतिबंध
II. तजाकिस्तान में जिहादी हमला
III. शहबाज शरीफ के दामाद पर शिंकजा
IV. चीन में अनेक मस्जिदें ध्वस्त
V. अमेरिकी कांग्रेस की पहली मुस्लिम महिला सदस्य
VI. जर्मनी में आतंकवादियों की सम्पत्ति जब्त
VII. आत्मसमर्पण करने वाले जिहादियों को माफी का ऐलान

अन्य

I. तीन तलाक के खिलाफ मुकदमा दर्ज
II. जामिया मिलिया में इस्लामिया में महिला छात्राओं पर सख्ती
III. मुसलमानों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने की मांग
IV. पत्नियों को छोड़ने वाले एनआरआई पुरुषों पर होगी कार्रवाई
V. हैदराबाद बना जिहादियों का गढ़
VI. जमीयत उलेमा ए हिन्द में फूट
VII. जामिया हमदर्द को सउदी अरब द्वारा पचास लाख डॉलर का अनुदान

सारांश

तीन तलाक और हलाला प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने पर बरेली के आला हज़रत परिवार की बहु निदा खान को कट्टरपंथियों ने इस्लाम से खारिज कर दिया है। निदा खान की तहरीर पर बरेली पुलिस ने इन मुफ्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कट्टरपंथी मौलानाओं ने निदा खान का जीना दुभर कर दिया है और उसे खुलेआम हत्या करने की धमकियां दी जा रही हैं।

देशभर में शरई अदालतें स्थापित करने की जो घोषणा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की थी उसे कार्यांवित करना शुरू कर दिया गया है। हाल में ही सूरत में एक शरई अदालत की स्थापना की गई है। इस अवसर पर मुसलमानों के धार्मिक नेताओं ने देश के मुसलमानों से अपील की है कि वे आम न्यायालयों का बहिष्कार करें और अपनी निजी मामले शरई अदालतों में ले जाएं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब से बोर्ड ने देशभर में शरई अदालतों का जाल बिछाने की घोषणा की है, भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है। विरोध करने वालों का कथन है कि मुस्लिम मौलवी जानबूझकर देश में समानान्तर न्याय तंत्र विकसित कर रहे हैं। जबकि बोर्ड का दावा है कि देश के संविधान में उन्हें अपने धर्मानुसार आचरण करने का अधिकार है और शरई न्याय व्यवस्था उनके ही दीन व इस्लाम का ही एक अंग है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब भी अपनी पुरानी जिद पर कायम है। राष्ट्रीय विधि आयोग से भेंट करके बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने यह दावा किया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अल्लाह और खुदा के बनाए हुए हैं। इसलिए उसमें किसी भी तरह का संशोधन या उन्हें रद्द करने का दुनिया के किसी भी न्यायालय या सरकार को कोई अधिकार नहीं है। बोर्ड ने यह भी दावा किया है कि देश के पांच करोड़ मुसलमानों ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके विधि आयोग को दिया है। जिसमें इस बात की मांग की गई है कि भारत मुसलमान शरई कानून में किसी भी तरह का संशोधन या परिवर्तन किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे और उसका डटकर विरोध किया जाएगा।

सउदी अरब ने अपने यहां काम करने वाले विदेशी मूल के नागरिकों के खिलाफ जोरदार अभियान शुरू कर दिया है। नौकरियों और उद्योगों के सउदीकरण के अभियान के तहत वहां पर दशकों से बसे हुए विदेशी मूल के नागरिकों को वहां से पलायन करने पर विवश किया जा रहा है। इन विदेशी मजदूरों और कर्मचारियों पर सउदी अरब सरकार ने जानबूझकर करों का इतना बोझ लाद दिया है कि उन्हें विवश होकर सउदी अरब से अपना बोरिया-बिस्तर बांधना पड़ रहा है।

दिल्ली स्थित इस्लामी विश्वविद्यालय जामिया हमदर्द को सउदी अरब द्वारा पचास लाख डॉलर का अनुदान देने का फैसला किया है। ज्ञातव्य है कि देश में इस्लामी विश्वविद्यालयों का जाल विदेशी सहायता से तेजी से फैल रहा है। इस समय देश में 42 इस्लामी विश्वविद्यालय हैं जिनमें से 7 सरकारी हैं जबकि शेष प्राइवेट हैं। यह सभी विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त हैं।

राष्ट्रीय

I

निदा खान को इस्लाम से खारिज करने वालों के खिलाफ मुकदमा

इंकलाब (26 जुलाई) के अनुसार बरेली के आला हज़रत परिवार की पुत्रवधू निदा खान ने आरोप लगाया है कि निकाह के बाद ससुराल में उसे कम दहेज लाने के लिए उससे मारपीट की जाती थी और एक दिन तीन तलाक देकर उसे जबरन घर से निकाल दिया गया। मारपीट के दौरान उसका गर्भपात हो गया। निदा खान ने पुलिस कप्तान के कार्यालय में लिखित रूप में इस बात की शिकायत की है कि उसे इस्लाम से खारिज करने वाले तीन मुफ्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए क्योंकि उन्होंने इस्लाम से निष्कासित करके उसके मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात किया है। थाना बारादरी ने बताया कि निदा खान के आरोप पर तीन मुफ्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। निदा खान ने दावा किया कि जब से उसके खिलाफ फतवा जारी किया गया है कि वो अब इस्लाम में नहीं है, तो मुस्लिम समाज ने उसका सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया है और उसे तरह-तरह से परेशान किया जा रहा है। इससे पूर्व अल्पसंख्यक आयोग ने इस मामले की जांच करने के लिए अपनी एक टीम बरेली भेजी थी। निदा खान ने दावा किया कि उसकी जान को खतरा है और उसके कत्ल की साजिश की जा रही है। निदा खान को पुलिस ने सुरक्षा प्रदान की है। ज्ञातव्य है कि निदा खान का निकाह आला हज़रत के उस्मान रज़ा खां उर्फ अंजुम मियां के पुत्र शीरान रजा खां के साथ हुआ था। निदा खान ने कहा कि वो इस मामले को किसी शरई अदालत में नहीं ले जाना चाहती। क्योंकि शरई अदालतों पर पुरुषों का कब्जा है इसलिए उनको इससे न्याय की कोई आशा नहीं है। निदा खान के इस बयान के बाद दरगाह आली हज़रत के मुफ्तियों ने दावा किया कि जो इस्लाम में रहकर शरीयत के कानूनों का उल्लंघन करता है और इससे इनकार करता है वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। निदा खान ने तलाक और हलाला जैसे शरई मामलों पर शरीयत के कानून का उल्लंघन करके और उसकी आलोचना करके सिद्ध किया है कि उसे अब इस्लाम और शरा पर कोई आस्था नहीं है। इसलिए ऐसी महिला को इस्लाम में नहीं रखा जा सका। लिहाजा उसे इस्लाम से खारिज किया जाता है। यह भी पता चला है कि दरगाह आला हज़रत की ओर से मुसलमानों को निर्देश दिया गया है कि वे निदा खान का बहिष्कार करें और उससे कोई वास्ता ना रखें क्योंकि वो अब इस्लाम में नहीं है।

इंकलाब (26 जुलाई) में प्रकाशित समाचार के अनुसार निदा खान को मिलने वाली धमकियों की निंदा बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर ने की है। जावेद अख्तर ने कहा कि जिन मुफ्तियों ने फतवा जारी करके निदा खान को इस्लाम से खारिज किया है उन्होंने यह हरकत इस्लाम के खिलाफ की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि निदा खान को सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए और फतवा जारी करने वाले मुफ्तियों को गिरफ्तार किया जाए। लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फिरंगीमहली ने मुफ्तियों द्वारा जारी फतवों को इस्लाम और शरीयत के अनुसार बताया है। उन्होंने इस बात की निंदा की है कि निदा खान इस्लाम विरोधी तत्वों के भड़काने पर इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम कर रही हैं।

II

देश में नई शरई अदालतें स्थापित करने की शुरूआत

इंकलाब (25 जुलाई) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशभर के प्रत्येक जिले में शरई अदालतें स्थापित करने की जो घोषणा की थी उसकी शुरूआत सूरत से कर दी गई है। दारूल कज़ा कमेटी के संयोजक मौलाना अतीक अहमद कासमी ने कहा कि शरई अदालतों का देशभर में विस्तार करना ना सिर्फ सामाजिक जरूरत है बल्कि ये हमारी दीनी जिम्मेवारी भी है। उन्होंने कहा कि आपसी मतभेदों और विवादों को आम न्यायालयों से बाह हल करने के लिए देश का कोई कानून नहीं रोकता। मुसलमानों को आम न्यायालयों का बहिष्कार करके अपने मामलों को इन शरई अदालतों से हल करवाने चाहिए जो कि

इस्लाम के निर्देशों के अनुरूप है। मुफ्ती फैज़ पटेल को सूरत की दारूल कज़ा का काज़ी नियुक्त किया गया है। इस शरई अदालत का मुख्यालय रामपुरा सूरत में होगा।

अखबार मशरिक (11 जुलाई) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि शरई अदालतों की व्यवस्था आजादी से पूर्व भारत के विभिन्न राज्यों में चल रही है और इन शरई अदालतों में प्रतिवर्ष हजारों मामले हल किए जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया गया कि ये कोई समानान्तर कोर्ट नहीं है और ना ही शरई अदालतें जबरन अपने फैसलों को लागू करती है। ये आपसी बातचीत से पारिवारिक समस्याओं के समाधान करने की एक व्यवस्था मात्र है। उन्होंने कहा कि बोर्ड इस व्यवस्था को उन क्षेत्रों तक पहुंचाना चाहता है जहां अभी तक शरई अदालतें नहीं हैं। इससे अधिक लाभ महिलाओं को होगा। उनके अधिकारों को बातचीत से उन्हें दिलाया जाता है और ये अदालतें यह प्रयास भी करती हैं कि तलाक की घटनाएं कम से कम हों। जब पति-पत्नी में विवाद बढ़ जाते हैं और सम्भावना पैदा होती है कि पति पत्नी को तलाक दे देगा तो महिला के अनुरोध पर शरई अदालत उसके पति को समझाने-बुझाने का प्रयास करती है और समझौते का कोई रास्ता तलाश करती है। उन्होंने कहा कि देश के न्यायालयों में करोड़ों मुकदमे विचाराधीन हैं। शरई अदालतें इस बोझ को कम करने का प्रयास करती हैं। मौलाना रहमानी ने देशवासियों से अपील की है कि वह इस संबंध में कुछ तत्वों द्वारा दुष्प्रचार से प्रभावित ना हों और उन्होंने मुसलमानों से भी अपील की कि वो शरई अदालतों का विस्तार करें और अपने मामले शरई अदालतों में ही ले जाएं। अवामी विकास पार्टी के प्रमुख शमशेर खान पठान ने आरोप लगाया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने देश के हर नगर में शरई अदालतें खोलने और उनका खर्च पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा दिए जाने की जो घोषणा की है उसके बाद सरकार और हिन्दूवादी ताकतों को मुसलमानों के खिलाफ प्रचार करने का एक बहाना मिल गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस समय देश में 70 शरई अदालतें काम कर रही हैं। इन अदालतों का फैसला यदि किसी को स्वीकार नहीं होता तो वह दीवानी अदालतों में जा सकता है। समाचारपत्र ने अपने सम्पादकीय में कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर भाजपा ने शरई अदालतों के विस्तार का विरोध करना शुरू कर दिया है। शरई अदालतों का लक्ष्य इस्लामी कानूनों के अनुसार विवादों को हल करना है। देशभर में शरई कानूनों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

अखबार मशरिक (12 जुलाई) के अनुसार बरेली दरगाह से संबंध रखने वाली निदा खान ने मांग की है कि शरई अदालतों में महिला काज़ी भी नियुक्त की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वक्त जो शरई अदालतें हैं उनमें सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व है और वो महिलाओं को दबाते हैं। निदा खान ने कहा कि मुस्लिम समाज में काज़ियों द्वारा महिला को निकाह, तलाक, खुला और हलाला के मुद्दों पर परेशान किया जाता है और इनकी परिभाषा हर काज़ी अपनी मर्जी से तय करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर शरई अदालतों में महिला होंगी तो निश्चितरूप से वे महिलाओं के साथ न्याय करेंगी।

सहाफत (16 जुलाई) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दिल्ली में हुई एक बैठक में देश में दस शरिया अदालतें स्थापित करने का प्रस्ताव आया था। जिस पर विचार करने के बाद फैसला किया गया है कि देश में तुरन्त पांच और शरिया अदालतें खोली जाएं। बोर्ड की बैठक में यह भी फैसला किया गया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद को सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी बेंच के पास ले जाने का फैसला किया जाए। बोर्ड की बैठक ने समान नागरिक संहिता, शरिया अदालतों, अयोध्या मामलों और अन्य कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया गया। अधिवेशन के बाद बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी ने बताया कि मुसलमानों ने देश के दस अन्य भागों में शरिया अदालतों के खोले जाने की मांग की थी। इनमें से पांच स्थानों पर फौरन शरिया अदालतें खोलने की अनुमति दी गई है। शेष स्थानों पर बाद में विचार किया जाएगा। जिन स्थानों पर तुरन्त शरिया अदालतें खोली जा रही हैं उनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं। शरिया अदालतों के प्रश्न पर उठे विवाद की चर्चा करते हुए जिलानी ने कहा कि यह विवाद बेवजह खड़ा किया गया है और इस संबंध में झूठे समाचार फैलाए गए हैं कि बोर्ड देश के प्रत्येक जिले में शरिया अदालत खोल रहा है। कुछ लोग इसे अदालत के तौर पर पेश कर रहे हैं जो गलत है। यह सिर्फ समझौता करवाने वाली संस्था होती है जो नागरिक मामलों पर समझौता करवाने वाली होती है। जिलानी ने कहा कि संघ और

भाजपा शरिया अदालतों की आड़ लेकर मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि शरिया बोर्ड कोई अदालत नहीं। संघ और भाजपा शरिया अदालतों के नाम पर राजनीति खेल रहे हैं। जिलानी ने स्पष्ट किया कि बोर्ड ने कभी भी देश के प्रत्येक जिले में शरई अदालतें स्थापित करने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि जहां जरूरत हो वहां ही शरिया अदालतें स्थापित की जाएं। इसके प्रति जागरूकता के लिए देशभर में गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। बोर्ड के खिलाफ जानबूझकर दुष्प्रचार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुसलमान अपनी समानान्तर न्याय व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य कई वर्ग भी विरोध कर चुके हैं।

इंकलाब (16 जुलाई) के अनुसार विरोध के स्वरों के बावजूद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश में शीघ्र दस और शरिया अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है। बोर्ड ने इस आरोप का खंडन किया कि वो भाजपा और संघ के एजेंडे पर काम कर रहा है। बोर्ड का कहना है कि वह मिल्लत इस्लामिया के लिए काम करता है और करता रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से शीघ्र ही असम और केरल में भी शरा को लेकर जानकारी देने के लिए गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। मुसलमानों में सामाजिक सुधार और सोशल मीडिया द्वारा जनता तक उसे कैसे पहुंचाया जाए इस पर भी विचार किया गया है। साथ ही समलैंगिकता का विरोध करने का फैसला भी हुआ और खेद व्यक्त किया गया कि सरकार इस मामले में मूकदर्शक बनी हुई है।

हमारा समाज (16 जुलाई) में कहा गया है कि शरिया अदालतों के बारे में मीडिया जानबूझकर दुष्प्रचार कर रहा है। बोर्ड ने दावा किया कि 1993 से पूरे देश में शरिया अदालतें स्थापित की जा रही हैं और इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी आ चुका है। यह कोई समानान्तर न्याय व्यवस्था नहीं है। इस समय देश में 70 शरिया अदालतें काम कर रही हैं और उन पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

इंकलाब (18 जुलाई) ने अपने सम्पादकीय में शरिया अदालतों का स्वागत करते हुए कहा है कि ये सामाजिक और राजनीतिक क्रांति का हिस्सा है। भारत की सभ्यता और संस्कृति को इस्लाम और मुसलमानों ने एक नया रूप दिया है। मुसलमानों के आने से पूर्व इस देश की क्या हालत थी और अब क्या हालत है इसका अध्ययन करने से साफ हो जाता है कि इस्लाम ने इस देश को क्या दिया है। दुर्भाग्य से आज इस्लाम और शरियत देश के एक वर्ग के लिए चिढ़ का कारण बना हुआ है। वो हर उस निशानी को मिटाना और विवादित बनाना चाहते हैं जिससे मुसलमानों और इस्लाम के पुराने गौरव की ओर संकेत मिलता हो।

III

राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी कहने से नया विवाद

इंकलाब (12 जुलाई) ने मुख्य पृष्ठ पर राहुल गांधी का यह बयान प्रकाशित करके कि हां, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, एक नया विवाद पैदा कर दिया है। समाचारपत्र के अनुसार मुसलमानों के तुष्टीकरण के आरोप का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हां, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। कांग्रेस का मुसलमान कमजोर है और कांग्रेस हमेशा से कमजोरों के साथ रही है। राहुल गांधी ने ये मत मुस्लिम बुदिजीवियों के साथ हुई बैठक में व्यक्त किया। इसके साथ ही उनके इस कथन से देश की राजनीति में नया बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने हालांकि इस बात का खंडन किया है मगर उस बैठक में मौजूद मुस्लिम नेताओं ने इस समाचार की पुष्टि की है। समाचारपत्र के अनुसार मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ यह बैठक दो घंटे तक जारी रही। बैठक की शुरूआत शिक्षाविद् इल्यास मलिक ने की। उन्होंने कहा कि आजादी के समय गांधी, नेहरु और आजाद ने देश के मुसलमानों को यह कहकर रोका था कि उन्हें उनका हक मिलेगा। नेहरु ने काफी हद तक इसे पूरा भी किया लेकिन बाद में कुछ ऐसी बातें भी हुई जिसके कारण मुसालमान उनसे दूर हो गया। गुजरात हत्याकांड के बाद मुसलमानों ने फिर सोनिया गांधी पर विश्वास प्रकट किया जिससे कांग्रेस पुनः सत्ता में आई और 2009 में भी यही हुआ। मुसलमान हालांकि कांग्रेस के

साथ खड़ा हो गया। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने और मेरी मां ने तय किया है कि हम मुसलमानों के साथ इसमें कोई समझौता नहीं कर सकते। जब वर्तमान सरकार लोगों को न्याय, रोजगार नहीं दे रही है और सिर्फ साम्प्रदायिकता की राजनीति कर रही है और देश को एक और विभाजन की ओर ले जा रही है, इस पर सामाजिक कार्यकर्ता फराह नकवी ने कहा कि 2019 से पहले-पहले महागठबंधन होना चाहिए ताकि भाजपा को पराजित किया जा सके। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आप विश्वास रखें। हम इस बार किसी तरह भी भाजपा को पुनः सत्ता में नहीं आने देंगे। हम ऐसा गठबंधन करेंगे जो 5 साल तक पूरा चलेगा। बैठक में एक मुस्लिम बुद्धिजीवी ने कहा कि शिवसेना इस समय भाजपा से नाराज है तो क्या कांग्रेस उससे गठबंधन करेगी?इस पर राहुल गांधी ने कहा कि शिवसेना से गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को साथ लेकर चलेंगे मगर इसके साथ-साथ हमें सामाजिक न्याय के आधार पर भी काम करना होगा और सबको साथ लाना होगा। हमें मुसलमानों के साथ-साथ ओबीसी, एससी, एसटी को साथ लाना होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्राध्यापक प्रो. इरफान हबीब ने कहा कि कांग्रेस को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे मामलों पर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इससे ध्रुवीकरण होता है। राहुल गांधी ने उनकी बात काटते हुए कहा कि अब आप ये डर निकाल दीजिए। अगर भाजपा कहती है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है तो मैं कहता हूं कि हां, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है क्योंकि देश का मुसलमान कमजोर है और अब दूसरा दलित हो गया है।

इंकलाब (16 जुलाई) ने मुख्य समाचार के रूप में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग प्रमुख नदीम जावेद का एक साक्षात्कार प्रकाशित किया है जिसमें दावा किया गया है कि मुसलमानों से संबंधति राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा और समाचारपत्र में जो प्रकाशित हुआ है वो सही है। उन्होंने कहा कि देश को अगर सुपर पावर बनाना है तो देश के कमजोर वर्गों की बात करनी होगी और हमें मुसलमानों व दलितों की समस्याओं को उठाना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा कमजोरों की पार्टी रही है और अगर ये बात राहुल गांधी ने कही है और समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई है तो इसमें गलत क्या है?उन्होंने दावा किया कि जानबूझकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से शीघ्र ही एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसमें राहुल गांधी भी हिस्सा लेंगे। जनता को बताया जाएगा कि कांग्रेस ने इतने वर्षों में अल्पसंख्यकों व मुसलमानों के कल्याण के लिए क्या-क्या काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया का एक वर्ग जानबूझकर दुष्प्रचार कर रहा है मगर हम डरने वाले नहीं हैं। हम सभी सेक्युलर पार्टियों को एकजुट करना चाहते हैं। हमने कर्नाटक में इसके लिए बलिदान दिया है। हमने मुसलमानों से अपील की है कि वो मुसलमानों से साथ खड़े हों और 2019 चुनाव का डटकर सामना करें।

इंकलाब (17 जुलाई) के अनुसार समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों के बाद कांग्रेस रक्षात्मक मूड़ में आ गई है जबकि भाजपा का रूख आक्रामक हो गया है। इस मुद्दे पर समाचारपत्रों और टीवी चैनलों में भी बहस हो रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से स्पष्ट बयान देने की बजाय समाचारपत्र को निशाना बनाया जा रहा है। इस समाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक रैली में कांग्रेस को निशाना बनाया था और इस समारचारपत्र की रिपोर्ट का उल्लेख भी किया था। मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस की आधारशिला रखते हुए राहुल गांधी से प्रश्न किया था कि कांग्रेस मुसलमान पुरुषों की पार्टी है या फिर मुस्लिम महिलाओं की पार्टी भी है? मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस इस आरोप का खंडन करके दोहरी नीति अपना रही है।

IV

न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में मारपीट

रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा (18 जुलाई) के अनुसार एक न्यूज़ चैनल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य एजाज अरशद कासमी की पैनल में मौजूद कई महिलाओं से गरमागर्मी हो गई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। समाचारपत्र के अनुसार कायक्रम में देखा जा सकता है कि तीन तलाक के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाली एक महिला फराह फैज़ ने एजाज अरशद कासमी को थप्पड़ मारा था जिसके जवाब में उन्होंने भी इस महिला को दो-तीन थप्पड़ मारे।

जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। टीवी चैनल ने इसके बाद पुलिस को बुलाया जिसके बाद पुलिस ने कासमी को हिरासत में ले लिया। ज्ञातव्य है कि एक टीवी चैनल पर तीन तलाक और शरीया अदालतों को लेकर बहस चल रही थी। इसी दौरान ये घटना हुई। चर्चा के दौरान देखा जा सकता है कि पहले फराह फैज़ नामक महिला ने कासमी का थप्पड़ मारे। फराह फैज़ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से भी संबंधित हैं। ज्ञातव्य है कि टीवी चैनलों पर होने वाली बहसों में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे लोग स्टूडियो पहुंचे हैं जिन्हें ना तो सामाजिक जानकारी होती है और ना ही वो इन चैनलों के हथंकड़ों को समझ पाते हैं। कुछ चैनलों को छोड़ पर्याय बहस के लिए ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो मुसलमानों व इस्लाम के खिलाफ उत्तेजना फैला सकें और फिर पैनल में मुसलमानों की निंदा के नाम पर एक या दो ऐसे मुसलमानों को दावत दी जाती है जिनके द्वारा मुसलमानों का मजाक उड़ाया जाता है।

इंकलाब (20 जुलाई) के अनुसार न्यूज़ चैनलों पर चर्चा में भाग लेने वाले मुस्लिम नेताओं की एक बैठक इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हुई जिसमें ज़ी मीडिया ग्रुप का बहिष्कार करने का निर्णय किया गया और तय किया गया कि किसी ऐसे मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाएगी जो कि न्यायालयों में विचाराधीन है। बैठक में इस आरोप का खंडन किया गया कि मुस्लिम विद्वान पैसों के लालच में टीवी चैनलों पर जाते हैं। कई मुस्लिम नेताओं का कहना था कि सभी चैनल पैसे नहीं देते हैं। अगर हम सब चैनलों का बॉयकट कर देंगे तो हमारा दृष्टिकोण जनता के सामने कैसे जाएगा?इस बैठक में मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी, मौलाना अंसार रज़ा, मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी, फहीम बेग, असद खान फलाही, आमिर ज़ैदी आदि ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि ज़ी मीडिया ग्रुप से संबंधित किसी भी चैनलों में अब बहस करने के लिए कोई नहीं जाएगा क्योंकि जिस तरह से बहस होती है उससे वातावरण खराब होता है। मौलाना अंसार रज़ा ने आरोप लगाया कि एंकर जानबूझकर मुसलमानों को गाली देते हैं और उनके खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। हम लोग वहां मुद्दों पर बात करने के लिए जाते हैं ना कि अपना ईमान बेचने के लिए जाते हैं। बैठक में तय किया गया कि तीन तलाक, बहु-विवाह प्रथा, हलाला, राम जन्मभूमि जैसे मामलों पर, जो कि न्यायालयों में विचाराधीन हैं इन पर चर्चा के लिए चैनलों पर ना जाएं। मौलाना अतहर हुसैन देहलवी ने शिकायत की कि मुसलमानों का अपना मीडिया नहीं है। उन्होंने कहा कि दारूल उलूम देवबंद के फतवे के बाद तारेक फतह के विवाद के जब दारूल उलूम ने फतवा जारी किया था तो उसका पालन करते हुए दो माह तक कोई मुस्लिम विद्वान चैनलों पर नहीं गया था। इसके बाद चैनलों ने रोटियां और फल बेचने वाले मुसलमानों को मुसलमानों का नेता बताकर चैनलों पर बिठाना शुरू कर दिया।

एक अन्य समाचार के अनुसार पानीपत में मुस्लिम नेताओं की एक बैठक हुई जिसमें निंदा की गई कि मारपीट की शुरूआत पहले महिला ने की थी मगर मुकदमा सिर्फ कासमी के खिलाफ बनाया गया है। इससे साफ है कि सरकार एकतरफा कार्रवाई कर रही है। इस बैठक में यह भी आरोप लगाया गया है कि चैनल सरकार के इशारे पर मुसलमानों को जानबूझकर बदनाम करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। शामली के एक समाचार के अनुसार मौलाना मोहम्मद इरफान कासमी ने कहा कि टीवी चैनलों की बहस में एक सुनियोजितढंग से इस्लाम और मुसलमानों को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है।

सहाफत (20 जुलाई) के अनुसार मुरादाबाद में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक सलीम अहमद बाबरी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो टीवी चैनलों की बहस में भाग ना लें और जो मुस्लिम विद्वान इन चैनलों में भाग लेते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए।

V

मॉब लिंचिंग पर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रूख

जमाते इस्लामी के मुखपत्र दावत (28 जुलाई) ने अपने सम्पादकीय में आरोप लगाया है कि मॉब लिंचिंग गोरक्षकों के हमले दलित बिरादरी का उत्पीड़न यह सब सत्तारूढ़ दल की हिन्दुत्व नीति के तहत हो रहा है। सरकार इन घटनाओं को रोकना नहीं

चाहती बल्कि उनको प्रोत्साहन दे रही है। इन्द्रेश कुमार के हाल ही के बयान से इसकी पुष्टि भी होती है। उन्होंने कहा कि अगर लोग बीफ खाना छोड़ दें तो ऐसी घटनाएं बन्द हो जाएंगी। इसका सीधा मतलब यह है कि संघ का दावा है कि जब तक लोग बीफ खांएगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ऐसी घटनाओं में हत्यारों को कोई सजा ना देना सरकार की नीति है।

अखबार मशरिक (26 जुलाई) ने अपने सम्पादकीय में कहा कि देश में भीड़ द्वारा मुसलमानों पर जो घातक हमलों का सिलसिला तेजी से चल रहा है उसका असली कारण भाजपा के नेताओं के नफरत फैलाने वाले बयान हैं। जिसका प्रभाव आम लोगों के अतिरिक्त पुलिस पर भी पड़ता है जो इस बात से भी साफ है कि जब गोरक्षकों ने अलवर में गाय ले जाने वाले रकबर खां को मार-मारकर अधमरा कर दिया था तो पुलिस ने पहले दो गायों को गोशाला ले जाना जरूरी समझा और बाद में रकबर खां को अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी मृत्यु हो गई है। भाजपा की यह दोहरी नीति है कि एक ओर तो वो भीड़ द्वारा हत्याओं की निंदा कर रहे हैं और दूसरी ओर वो गोरक्षकों की जगह पुलिस को आरोपी ठहरा रहे हैं। खास बात यह है कि राजस्थान सरकार ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं की जांच करने के लिए अलवर के प्रमुख ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को जो आदेश दिया है वो भारतीय दण्ड विधान की धारा- 176 के तहत दिया है जिसका संबंध पुलिस हिरासत में मौत से होता है।

इंकलाब (22 जुलाई) ने अपने सम्पादकीय में लिखा है कि संसद में खड़े होकर जब गृहमंत्री राजनाथ सिंह भीड़ द्वारा हत्या करने की प्रवृत्ति पर चिन्ता प्रकट कर रहे थे तो उसी वक्त उनकी ही पार्टी के सत्ताधारी राज्य राजस्थान के अलवर जिला में रकबर खां नामक एक व्यक्ति को गाय के नाम पर मौत के घाट उतार दिया गया। इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हिंसा करने वालों पर ना तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई असर हो रहा है और ना ही वो गृह मंत्रालय के निर्देशों की ही परवाह कर रहे हैं। अलवर में ही 2017 में एक मुसलमान पहलू खां को पीट-पीटकर मार दिया गया था। 20 नवम्बर, 2017 को उमर मोहम्मद नामक एक व्यक्ति को रामगढ़ में भीड़ ने मार डाला। फिर दिसम्बर में भी यहां गाय के कथित तस्कर की हत्या कर दी गई।

हमारा समाज (25 जुलाई) ने अपने सम्पादकीय में इस बात की निंदा की है कि भीड़ द्वारा हत्या किए जाने के मामले में सरकार गम्भीर नहीं है। ऐसी घटनाएं गत चार वर्षों से हो रही हैं और उनको रोकने के लिए हर बार न्याय और जांच का भरोसा दिलाया जाता है, निंदा की जाती है, सख्ती बरतने की बात कही जाती है मगर एक भी मामले में न्याय नहीं मिला। प्रश्न यह है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा? सरकार गुंड़ों को पकड़ने के लिए कब कानून बनाएगी?जहां तक अलवर मामले का संबंध है इसने पूरे देश को झकझोरकर रख दिया है। चिन्ताजनक बात यह है कि रकबर खां के बच्चों की परवरिश कौन है?देखना होगा कि सरकार वास्तव में रकबर खां के परिजनों को न्याय दिलवाएगी या फिर जांच कमेटी सिर्फ एक ढोंग होगी। कहा तो जा रहा है कि जनता और संसद में विपक्ष के गुस्से को ठंडा करने की एक चाल है। हैरानी की बात है कि एक ओर तो भीड़ द्वारा हत्याओं को मानते हुए उनकी रोकथाम के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। दूसरी ओर, जब विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाने का प्रयास करता है तो सत्तारूढ़ दल उस पर हमला करके उसे रोकता है।

जदीद मरकज़ (22 जुलाई) ने अपने विशेष सम्पादकीय में कहा कि जब सर्वोच्च न्यायालय सरकार को भीड़ द्वारा हत्या करने को रोकने का निर्देश दे रहा था तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के युवा विंग के गुंड़े विख्यात् सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश को सड़क पर पीट-पीटकर मार डालने की कोशिश। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी घटनाओं के लिए विशेष दल गठित करने का जो निर्देश दिया था उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोशल मीडिया में जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनको आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?

रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा (25 जुलाई) ने एक समाचार प्रकाशित किया है जिसमें कांग्रेस के पूर्व सांसद राशिद अल्वी ने आरोप लगाया है कि भाजपा जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रही है जिससे भड़ककर लोग मासूमों की हत्या करें। दूसरी ओर, इस पार्टी के कुछ नेता देश में हिंसा के वातावरण को भड़का रहे हैं ताकि देश की एकता को खतरा पैदा हो। गाय के संरक्षण को नाम पर मासूम और बेगुनाह लोगों की हत्या की जा रही है क्योंकि ऐसी घटनाओं के पीछे सत्तारूढ़ दल का हाथ है। इसलिए दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अल्वी ने इन्द्रेश कुमार के उस बयान की निन्दा की है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर

गोहत्या बंद हो जाए तो भारत क्या पूरी दुनिया में शैतान के गुनाह खत्म हो जाएंगे और साथ ही उन्होंने मुसलमानों से गाय का गोश्त ना खाने की अपील भी की है।

इत्तेमाद (23 जुलाई) ने अपने सम्पदकीय में आरोप लगाया है कि देश में कानून की हुकूमत नहीं बल्कि भीड़ का राज चल रहा है। जिसमें कोई भी व्यक्ति जब चाहे कानून को अपने हाथों में ले लेता है और राह चलते लोगों को मौत के घाट उतार देता है। देश के सबसे बड़े न्यायालय ने भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को सख्त निर्देश जारी किए थे। जब संसद में इसको लेकर चर्चा हुई तो नरेन्द्र मोदी ने यह तर्क दिया कि शांति व्यवस्था राज्यों का काम है। मगर केन्द्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर भी कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र को निर्देश दिया था कि वो भीड़ द्वारा हत्या किए जाने के मामलों को रोकने के लिए कानून बनाए और दोषियों को कड़ी सजा दे। मगर केन्द्र हठधर्मी पर आ गई है कि उसे किसी की परवाह है और ना ही उसे विपक्षी पार्टियों की मांग का कोई अहसास है। हाल में ही राजस्थान में एक मुसलमान रकबर खां की गो तस्करी के आरोप में निर्ममतापूर्वक हत्या की गई। गाय के नाम पर ऐसी घटनाएं विशेषरूप से हो रही है जहां भाजपा की सरकार है।

रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा (4 जुलाई) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने भीड़ द्वारा लोगों की हत्या करने की घटनाओं पर चिन्ता प्रकट करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकता और इस तरह की घटनाओं को रोकना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर रोक लगाने के संबंध में याचिकाओं की सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा। इससे पूर्व सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। भले ही कोई कानून हो या ना हो, कोई भी संगठन अपने हाथों में इसे नहीं ले सकता। न्यायाधीश दीपक मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वो इस तरह की घटनाएं ना होने दे। इस संदर्भ में न्यायालय राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी करेगी। न्यायालय में इंदिरा जयसिंह ने बेंच को बताया कि समाज दुश्मन तत्वों का हौंसला बढ़ रहा है। अब उन्होंने गोहत्या के साथ-साथ बच्चों का अपहरण करने की आड़ लेकर भी लोगों की हत्या करनी शुरू कर दी है। न्यायालय में सरकार ने कहा कि भीड़ द्वारा हत्या को रोकने के लिए अलग कानून बनाने की जरूरत नहीं है। ज्ञातव्य है कि कुछ दिन पूर्व महाराष्ट्र के धुले जिला में बच्चा चोर होने के संदेह में पांच लोगों को मार-मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इसी तरह मालेगांव में चार व्यक्तियों को घायल कर दिया गया था। झारखण्ड, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में भी अफवाहों के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है।

इंकलाब (3 जुलाई) ने अपने इस अंक में धुलिया से दिल्ली तक के शीर्षक के सम्पाकदीय में भीड़ द्वारा हत्याओं पर चिन्ता प्रकट करते हुए कहा कि धुलिया में पांच लोगों को पीट-पीटकर मार डाला गया। पहले इस तरह की शैतानियत गोहत्या की आड़ में होती थी और अब बच्चों के अपहरण को बहाना बनाया जा रहा है। भीड़ की हिंसा का सिलसिला थम नहीं पा रहा है। क्योंकि इसे रोकने के लिए नेतागण और राजनीतिक दल तैयार नहीं हैं। इसी समाचारपत्र ने एक अन्य सम्पादकीय में कहा कि देश में भीड़ द्वारा कानून को अपने हाथों में लेने और कथित आरोपी को सजा देने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो बेहद खतरनाक है।

हमारा समाज (4 जुलाई) में प्रकाशित सम्पादकीय के अनुसार महाराष्ट्र के धुले गांव में बच्चों का अपहरण करने के संदेह में पांच व्यक्तियों की हत्या किए जाने की निंदा की है। समाचारपत्र ने कहा कि भीड़ द्वारा लोगों की हत्या करने की प्रवृत्ति देश में तेजी से बढ़ रही है। लोग खड़े होकर या तो तमाशा देखते हैं या फिर मारपीट करने वालों में शामिल हो जाते हैं। इससे पूर्व मद्रास में भी दो मजदूरों को इसी तरह से पीटा गया। मध्य प्रदेश में दो लोगों को एक भीड़ ने सरेआम पीटा क्योंकि उस वक्त व्हाट्सएप ग्रुपों द्वारा अफवाह फैलाई गई थी कि ये लोग बच्चों को अपहरण करके उनके अंगों का व्यापार करते हैं। सरकार ने स्वीकार किया है कि एक माह में भीड़ के हाथों 28 लोग मारे गए हैं।

सियासत (30 जुलाई) ने देश में भीड़ द्वारा हत्याओं की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की निंदा की है और कहा कि लोग गाय को ले जाने या उसके गोश्त की आड़ में निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं। जानवरों के संरक्षण के नाम पर इंसानों के खून से अपने हाथ रंगे जा रहे हैं। यह स्थिति बेहद खतरनाक है और इसके कारण देश के दो महत्वपूर्ण समूहों के बीच नफरत और मतभेदों की खाई

बढ़ती जा रही है। इस तरह की घटनाएं ढाई-तीन वर्ष पूर्व शुरू हुई थी मगर केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार और देश के कई राज्यों की भाजपाई सरकार ने इसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यहां तक कि उनके पास यह भी आंकड़े नहीं हैं कि भीड़ द्वारा कितने लोग मारे जा चुके हैं।

जदीद मरकज़ (29 जुलाई) ने अपने सम्पादकीय में इसा बात की निंदा की है कि हाल में ही गोभक्तों द्वारा मुसलमानों की हत्या करने की जो प्रवृत्ति चल रही है उसकी तुलना गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 1984 के दंगों से की है। राजनाथ सिंह एक गम्भीर व्यक्ति हैं मगर उनके जवाब से प्रतीत होता है कि वो किसी मजबूरी के कारण नरेन्द्र मोदी की भाषा बोल रहे हैं। जब राजनाथ सिंह संसद में अपना भाषण दे रहे थे तो उसके चार घंटे के अंदर ही अलवर में गाय के बहाने आतंकियों ने एक 40 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी।

सियासत (23 जुलाई) ने शिकायत की है कि भाजपा की शासन वाली सरकारों ने मुसलमानों को किसी ना किसी बहाने से तंग किया जा रहा है। बेगुनाहों मुसलमानों कत्ल करने वालपों को सजा देने की बजाय मंत्री उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। इससे साफ है कि इन हरकतों के पीछे सरकार का समर्थन उन्हें प्राप्त है। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि भीड़ द्वारा हत्या होने पर जिम्मेवारी केन्द्र या राज्य सरकार की है मगर दोनों को लगता है कि उन्हें कानून कर रत्तीभर भी परवाह है और ना ही उनकी नजर में सर्वोच्च न्यायालय का ही कोई सम्मान है। अगर ऐसी घटनाओं को नहीं रोका गया तो देश में खतनाक हालात हो जाएंगे।

इंकलाब (14 अगस्त) के अनुसार उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भीड़ के हाथों मारे जाने वाले कासिम कुरैशी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त रूख अपनाया है। इस हमले में घायल हुए समीउद्दीन ने सर्वोच्च न्यायालय से मांग की थी कि इस पूरे घटनाक्रम की एसआईटी से जांच करवाई जाए और इस मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर हो। इस याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। इसके अतिरिक्त मेरठ के पुलिस महाधीक्षक और हापुड़ पुलिस कप्तान को निर्देश दिया है कि वे इसकी जांच करके दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में पेश करे। न्यायालय में याची के वकील ने शिकायत की कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस घटना पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है और उसे सड़क पर हुई हिंसा का रंग देने का प्रयास कर रही है।

VI

मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी संशोधन का विरोध

हमारा समाज (1 अगस्त) के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रतिनिधिमंडल ने लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मुलाकात कर इस बात पर जोर दिया कि इस्लामी पर्सनल कानून में किसी भी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन को किसी भी तरह से मुसलमान स्वीकार नहीं करेंगे। इस मुलाकात के बाद पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए इन मुस्लिम नेताओं ने कहा कि समान नागरिक संहिता भारत जैसे बहुधर्मी देश में नहीं चल सकता। इन मुस्लिम नेताओं ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून खुदा के बनाए हुए हैं और उनमें कोई भी शक्ति परिवर्तन संशोधन नहीं कर सकती। ज्ञातव्य है कि तीन तलाक के मुद्दे पर महिलाओं के अधिकारों की दुहाई देते हुए सरकार ने समान नागरिक संहिता बनाने का शोशा छोड़ा है। इसके बाद विधि मंत्रालय ने लॉ कमीशन से सभी कानूनों को समझने और समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में कदम उठाने पर बल दिया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान से पहली मुलाकात 21 मई, 2018 में की थी जिसमें अध्यक्ष ने कहा था कि बहुधर्मी भारतीय समाज में समान नागरिक संहिता बनाना तो सम्भव नहीं है मगर विभिन्न धर्मों के पर्सनल कानूनों से अच्छी-अच्छी बातों को लेकर एक समान शरीया कानून बनाया जा सकता है। बोर्ड ने इस पर घोर आपत्ति की है। जमाते इस्लामी प्रमुख मौलाना जलालुद्दीन उमरी ने कहा कि हमने पहली बैठक में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि मुसलमान किसी भी शरई कानून में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं करेंगे। जिसमें हमसे लिखित में जवाब मांगा था

जिसे हमने जमा करवा दिया है। मुसलमानों के विभिन्न फिरकों के मुफ्तियों और दीन के आलिमों से सलाह-मशविरा करके तैयार किया है। इस देश में ना तो समान नागरिक संहिता को लागू करने की गुंजाइश है और ना ही मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी तरह का कोई परिवर्तन किया जा सकता है। हम गत 1400 वर्ष से इसका अनुसरण कर रहे हैं। एक अन्य सदस्य डॉ. कासिम रसूल इल्यास ने कहा कि आयोग ने माता-पिता में तलाक होने की सूरत में बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेवारी, गोद लेने की समस्या, महिला को गुजारा-भत्ता देना और दादा की सम्पत्ति में यातिम पोते और उसकी मां का अधिकार और सम्पत्ति के इस्लामी दृष्टिकोण से विभाजन के बारे में बात हुई। इसके अतिरिक्त संयुक्त परिवार व्यवस्था के बारे में इस्लामी दृष्टिकोण, मॉडल निकाहनामा और अन्य देशों में मुस्लिम सिविल लॉ के बारे में विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महामंत्री मौलाना वली रहमानी ने एक पत्र विधि आयोग के अध्यक्ष को लिखा है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि आयोग को इस्लामी कानून में किसी भी तरह का परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। रहमानी ने अपने पत्र में लिखा है कि 21 मई को हुई बैठक में अध्यक्ष ने स्वीकार किया था कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करना सम्भव नहीं है। मगर विभिन्न धर्मों की बातों को लेकर एक समान कानून बनाया जा सकता है। अध्यक्ष ने उदाहरण देते हुए कहा था कि हिन्दुओं में उत्तराधिकार का कानून इस बात की अनुमति देता है कि किसी परिवार का प्रमुख अपने जीवन में यदि चाहे तो वो सम्पत्ति का विभाजन ना करके किसी व्यक्ति के हवाले कर दे लेकिन मुसलमान अपनी सम्पत्ति में से एक तिहाई सम्पत्ति के बारे में ही वसीयत कर सकता है। वो पूरी सम्पत्ति किसी को नहीं दे सकता। इसी तरह से हिन्दू समाज में एक पत्नी का कानून अच्छा है और इसे सभी पर लागू किया जाना चाहिए। लेकिन आपकी इस धारणा से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इससे सहमत नहीं है। आपका यह विचार भारतीय संविधान के खिलाफ है और इससे देश में नई बेचैनी पैदा होगी। इससे साफ है कि आपका दिमाग समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहा है। इस देश में विभिन्न धर्म है, विभिन्न संस्कृतियां है। यह इस देश की सुन्दरता है। आप उस पर एक कानून लागू नहीं कर सकते। जहां तक हिन्दू समान कानून का संबंध है उसे संसद ने पारित किया था। लेकिन इस्लामी कानून का आधार कुरान व हदीस है जो कि सदियों से चला आ रहा है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में भी इसका संरक्षण करने का वायदा किया गया है। एक पत्नी प्रथा का उल्लेख करते हुए मौलाना ने कहा कि एक से अधिक चार शादियां करने की अनुमति जो कुरान ने दे रखी है उसका आधार यह है कि व्यक्ति अपनी पत्नियों से समान व्यवहार करे और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे शादी करने का अधिकार नहीं है। हिन्दुओं में एक पत्नी प्रथा का कानून है मगर इसके बावजूदर भी हिन्दुओं में बहुपत्नी प्रथा मुसलमानों से कहीं अधिक है। मौलान ने विधि आयोग के अध्यक्ष को लिखा है कि आप सरकार को अपनी रिपोर्ट दें मगर ऐसा ना हो कि आपकी रिपोर्ट के कारण देश में विवाद और अशांति पैदा हो।

साप्ताहिक चौथी दुनिया (13 अगस्त) ने दावा किया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने को खारिज कर दिया है। बोर्ड ने देशभर से लगभग पांच करोड़ मुसलमानों का एक ज्ञापन विधि आयोग को पेश किया था जिसमें इन मुसलमानों ने मांग की थी कि उनके पर्सनल लॉ में किसी तरह का संशोधन या हस्तक्षेप सहन नहीं किया जाएगा। इसके बाद दो बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय विधि आयोग से मुलाकात करके उनसे अनुरोध किया था कि वे मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी तरह का संशोधन करने की सिफारिश कतई ना करें। इस प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर जोर दिया कि फिक्का जाफरिया के अनुसार तलाक होने पर दो वर्ष से अधिक की आयु के बच्चे का अभिभावक उसकी मां नहीं बल्कि उसका पिता होता है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने 1999 में निर्णय दिया है कि मां अपने बच्चे की अभिभावक है। इसी तरह से मुस्लिम और ईसाई पर्सनल लॉ के तहत बच्चे को गोद नहीं ले सकता जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने शबनम हाशमी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में निर्देश दिया है कि धर्म और सम्प्रदाय बच्चे को गोद लेने में बाधक नहीं बनता। पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में किसी तरह का संशोधन करने का विरोध किया है।

पश्चिमी एशिया

I

सउदी अरब से लाखों के पलायन की तैयारी

सियासत (29 जुलाई) में के.एन. वासिफ ने यह रहस्योद्घाटन किया है कि सउदी अरब की सरकार ने हाल में ही जो नए रोजगार के कानून बनाए हैं और उसके अतिरिक्त विदेशी मूल के नागरिकों पर जो भारी टैक्स लगाए गए हैं उससे लाखों विदेशियों को सउदी अरब से बोरिया-बिस्तर बांधकर भागना पड़ेगा। उन्होंने शिकायत की कि सउदी अरब ने अपने नागरिकों के लिए अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने की जो योजना बनाई है उसके कारण लाखों विदेशी नागरिकों को नौकरी से निकाल दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार औसतन 2,600 विदेशी नागरिक प्रतिदिन बोरिया-बिस्तर बांधकर सउदी अरब छोड़ रहे हैं। 2017 से लेकर 2018 की पहली तिमाही तक सात लाख लोगों को वहां से जाना पड़ा है। दूसरी ओर, सउदी नागरिकों में बेरोजगारी का अनुपात 12.9 प्रतिशत तक पहुंच चुका है और 17 लाख सउदी नागरिक रोजगार की तलाश कर रहे हैं। चालू वर्ष के तीन माह में 23,000 लोगों को सउदी अरब छोड़ना पड़ा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 30 प्रतिशत सउदी महिलाएं और सात प्रतिशत पुरुष बेरोजगार हैं। दूसरी ओर, सउदी गजट में एक समाचार प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि विदेशियों के निष्कासन के कारण देश में नवनिर्माण की अनेक योजनाएं खटाई में पड़ गई हैं। 2,21,000 विदेशी मजदूरों की भवन निर्माण के कार्यों से छुट्टी करनी पड़ी है। इसके अतिरिक्त 53,000 विदेशी कर्मियों को निकाला गया है। रिपोर्ट के अनुसार सउदी अरब में 1,20,000 भवन निर्माण कम्पनियां हैं जिनमें 300 बिलियन डॉलर का पूंजी निवेश है और इनमें 40,000 मजदूर काम करते हैं। विदेशी मजदूरों के देश से चले जाने के कारण अनेक योजनाएं खटाई में पड़ गई हैं और व्यापारिक गतिविधियां मंद पड़ गई हैं। नगर के वो बाजार जहां चलने की जगह नहीं होती थी अब वे सूने-सूने दिख रहे हैं। अनेक बिल्डिंगयां खाली हो गई हैं और अनेक जगह किराए के लिए बोर्ड दिखाए देते हैं। अनेक प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं क्योंकि अधिकांश विदेशी छात्र वहां से चले गए हैं। एक अरबी समाचारपत्र अल मदीना ने आरोप लगाया कि सरकार ने विदेशी मजदूरों पर करों का जो भारी बोझ लादा है और उनके लिए बिजली, पानी और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं उसके कारण देश के विकास में बुरा असर पड़ा है। एक वर्ग इन पाबंदियों को उचित ठहरा रहा है जबकि दूसरी ओर इसका विरोध किया जा रहा है। समाचारपत्र ने यह भी आरोप लगाया है कि बहुत से नागरिक सउदी अरब के नाम पर व्यापार कर रहे हैं। सरकार ने विदेशी कर्मचारियों पर जो करों का बोझ लादा है उसके कारण उन्हें विवश होकर अपने स्वदेश लौटना पड़ रहा है। कुछ लोग अरब नागरिकों के साथ मिलकर उनसे स्लीपिंग पाटर्नर के तौर पर काम करवा रहे थे मगर जो अब सरकार ने टैक्स लगाए हैं और कर्मचरियों पर अनेक टैक्स का बोझ लादा गया है जिसके कारण बहुत से रोजगार बंद हो गए हैं। विदेशी मूल के लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो रहे हैं।

II

ईरान नें अमेरिका का ठुकराया प्रस्ताव

इंकलाब (2 अगस्त) के अनुसार ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी वार्ता को करने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान पर दबाव डालने और उस पर प्रतिबंध लगाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा इसलिए अमेरिका को चाहिए कि वो ईरानी जनता का सम्मान करने का रास्ता अपनाए। यह बात ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के एक ट्वीट के जवाब में कही। ट्रम्प ने ईरानी ने नेताओं से बिना किसी शर्त के मुलाकात करने का प्रस्ताव किया था और कहा था कि जब वे चाहें यह मुलाकात हो सकती है। इसका जवाब देते हुए ईरानी राष्ट्रपति के सलाहकार ने जवाब में कहा था कि परमाणु समझौते में वापसी और ईरान के अपने अधिकारों को मान्यता दिए जाने के बाद ही इस तरह की भेंट का वातावरण बन सकता है। ईरान के विदेश मंत्री ने लिखा कि दो वर्ष तक यूरोपियन यूनियन, रूस और चीन के साथ वार्ता की थी और उसके बाद परमाणु समझौता हुआ था और ये अब तक काम कर रहा है। अमेरिका इससे निकलने के लिए खुद को ही दोषी ठहरा सकता है। ज्ञातव्य है कि अमेरिका इस समझौते से निकल गया है और इसके कारण वो ईरान पर पुन: प्रतिबंध लगा रहा है। ईरान के उप-राष्ट्रपति अली मुजाहिरी ने सरकारी संवाद समिति एर्ना को बताया कि अमेरिका के परमाणु समझौते से निकलने के बाद

अमेरिका से वार्ता का कोई लाभ नहीं है। वार्ता तभी शुरू हो सकती है जब अमेरिका इसको स्वीाकर करे और अमेरिकी जनता के अधिकारों को मान्यता दे। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता का कहना है कि अमेरिका के साथ जो बुरे अनुभव हुए हैं उसके बाद ट्रम्प के प्रस्ताव की कोई कीमत नहीं है।

हमारा समाज (2 अगस्त) के अनुसार ईरान की फौज पासदारान ए इंकलाब के प्रमुख जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के वार्ता प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि उनका देश शैतान से कोई बात नहीं करेगा। ईरानी जनरल ने कहा कि ईरानी जनता को अपने खुदा पर विश्वास है और वो विश्व की अन्य कौम से जुदा है। हम कभी भी शैतान बुजुर्ग से बात नहीं करेंगे। ज्ञातव्य है कि ईरानी नेता शैतानी बुजुर्ग का उल्लेख डोनाल्ड ट्रम्प के लिए करते हैं। ईरानी जनरल ने कहा कि ट्रम्प ईरान को नहीं जानते। वे अनुभवहीन हैं। ईरानी नेताओं से वार्ता शुरू करने की इच्छा को वे अपने साथ कब्र में ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईरान उत्तरी कोरिया नहीं है जो वार्ता के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। ईरान के अन्य नेताओं ने भी अमेरिका के साथ किसी तरह की वार्ता शुरू करने का विरोध किया है और कहा कि अमेरिका जानबूझकर ईरान को परेशान करके तनाव उत्पन्न कर रहा है।

III
सीमावर्ती चौकी पर आतंकी हमला

सियासत (7 जुलाई) के अनुसार सउदी अरब की एक सीमावर्ती चौकी पर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया और एक सुरक्षा अधिकारी सहित दो व्यक्तियों की हत्या कर दी। सउदी अरब गृह मंत्रालय के अनुसार जिस चौकी पर हमला किया गया वह राजधानी से 400 किलोमीटर दूर उत्तर-पश्चिम में स्थित है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जिसमें दो आतंकवादी मारे गए और तीसरा घायल हो गया। बताया जाता है कि इस हमले के पेछे आईएस का हाथ है।

IV
कवियत्री को सजा

इंकलाब (2 अगस्त) के अनुसार इजरायल के एक न्यायालय ने उत्तरी फिलिस्तीन की एक कवियत्री और चिन्तक दारीन तातौर को पांच माह कैद की सजा सुनाई है। इजरायली समाचार के अनुसार इस महिला को सोशल मीडिया पर अपनी एक कविता पोस्ट करने के बाद हिरासत में लिया गया था और इस पर मुकदमा चलाया गया था। ज्ञातव्य है कि 36 वर्षीया दारीन तातौर को इससे पूर्व भी अक्टूबर, 2015 में इजरायल विरोधी कविताएं लिखने और सोशल मीडिया में पोस्ट करने के संबंध में पकड़ा गया था। इसके बाद इजरायल सरकार ने इस कवियत्री के खिलाफ आतंकवादी संगठनें का समर्थन करने के आरोप में आरोप लगाया गया था और उसे घर पर ही नजरबंद करने की सजा सुनाई गई थी।

V
सउदी अरब पर जेल में बंद नेताओं की रिहाई के लिए दबाव

हमारा समाज (2 अगस्त) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों से संबंधित कार्यालय ने सउदी अरब में मानवाधिकारों के समर्थकों की अंधाधुंध गिरफ्तारियों पर चिन्ता प्रकट की है और सउदी अरब पर जोर दिया है कि वो ऐसे सभी लोगों को तुरन्त रिहा कर दे जिन्हें मानवाधिकारों के प्रश्न उठाने पर गिरफ्तार किया गया है। इनमें वो महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने सउदी अरब में महिलाओं को वाहन चलाने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए आंदोलन चलाया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवक्ता ने कहा कि कम से कम 200 लोग हिरासत में लिए गए थे। इनमें से 8 को रिहा किया गया जबकि शेष लोगों के बारे में पता नहीं कि वे कहां हैं और उनके बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मानवाधिकारों को कुचलने के लिए सउदी अरब सरकार धमकियां दे रही है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर उन्हें 20 वर्ष की सजा दी जा सकती है।

VI
मिस्र में अनेक लोगों को फांसी

इत्तेमाद (29 जुलाई) के अनुसार मिस्र की एक अदालत ने 75 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। इन पर 5 वर्ष पूर्व एक धरने में शामिल होने और हिंसा को हवा देने का आरोप है। जिन लोगों को फांसी दी गई है उनमें अतिवादी मुस्लिम संगठन इख्वान उल मुस्लिमीन के उच्च पदाधिकारी शामिल हैं। मौत की सजा पाने वालों में इस संगठन के प्रमुख नेता भी शामिल हैं। इन लोगों को 2013 में एक धरने में भाग लेने पर मौत की सजा सुनाई गई है। इन पर हत्या करने, सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे अदालत ने इन सजाओं की पुष्टि के लिए देश के मुफ्ती से राय मांगी है। हालांकि इस राय का कोई महत्व नहीं है। इस सजा के खिलाफ अपील सिर्फ उच्च न्यायालयों में ही की जा सकती है। इस सुनवाई के दौरान मुफ्ती की राय पर अदालत विचार कर सकती है मगर उसे मानना जरूरी नहीं है।

VII
पादरी को रिहा ना करने पर तुर्की को धमकी

इत्तेमाद (28 जुलाई) के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने तुर्की को धमकी दी है कि अगर उसके बंदी बनाए हुए अमेरिकी पादरी को रिहा नहीं किया गया तो उस पर अनेक तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इस धमकी के कारण दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया है। तुर्की की एक अदालत ने एक पादरी को 21 महीने तक अपने घर में नजरबंद रखने की सजा दी है। इस पादरी के खिलाफ आतंकवाद के आरोप में मुकदमा चल रहा है। ट्रम्प ने कहा कि ये पादरी काफी समय से तुर्की में रह रहा है और वो शानदार सेवाएं कर रहा है। उस पर इस तरह का प्रतिबंध लगाना अनुचित है। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व अमेरिका के उप-राष्ट्रपति ने भी तुर्की को इसी तरह की धमकी दी थी। इस धमकी के कारण अमेरिकी डॉलर की तुलना में तुर्की मुद्रा का अवमून्यन हुआ है। अमेरिकी राज्य नार्थ कैरोलिना में जन्म लेने वाले पादरी ब्राउनसन गत 20 वर्षों से तुर्की में काम कर रहे हैं। उन पर कुछ लोगों को सहायता उपलब्ध करवाने का आरोप है। सरकार का कहना है कि 2016 में तुर्की में जो असफल विद्रोह हुआ था उसके पीछे इनका हाथ था। अगर आरोप सिद्ध हो जाएं तो उन्हें 35 वर्ष तक की सजा हो सकती है। अमेरिका को आशा थी कि तुर्की इस पादरी को रिहा कर देगा। मगर तुर्की ने इसे रिहा नहीं किया। ट्रम्प ने पादरी की बेटी को आश्वासन दिया है कि हम उस वक्त तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक आपके पिता को रिहा नहीं किया जाता और वो वापस नहीं आ जाते। अमेरिका की इस धमकी का उल्लेख करते हुए तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि कोई देश हम पर अपने निर्णय जबर्दस्ती नहीं लाद सकता।

VIII
कुख्यात् आतंकवादी की बेटी से निकाह

सियासत (8 अगस्त) के अनुसार अलकायदा के पूर्व प्रमुख ओसामा बिन लादेन के बेटे हमज़ा बिन लादेन ने अमेरिका के दो टावरों को तबाह करने वाले मोहम्मद अताह की बेटी से निकाह कर लिया है। इस बात की पुष्टि ब्रिटिश समाचारपत्र 'द गार्जियन' ने की है। ओसामा बिन लादेन के सौतेले भाई अहमद हसन ने समाचारपत्र को बताया कि हमज़ा बिन लादेन अलकायदा के संगठन में एक महत्वपूर्ण पद पर हैं और वे अमेरिका से अपने पिता की हत्या का हर कीमत पर बदला लेना चाहता है जिसे अमेरिकी कमांडरों ने एक खुफिया ऑपरेशन में पाकिस्तान के एबटाबाद में मार दिया था। हमज़ा ओसामा बिन लादेन की तीसरी पत्नी के बेटे हैं। जब लादेन की हत्या की गई तो उसकी ये पत्नी लादेन के साथ ही थीं। इस हमले में हमज़ा का एक छोटा भाई खालिद भी मारा गया था जबकि उसका एक अन्य भाई असद 2009 में अफगानिस्तान में अमेरिका के एक हमले में मारा गया है। हमज़ा ने घोषणा की है कि वह अपने पिता के सपनों को पूरा करेगा और अपने परिवारों के हत्यारों से बदला लेगा।

विश्व

I

डेनमार्क में नकाब पर प्रतिबंध

इंकलाब (2 अगस्त) के अनुसार डेनमार्क सरकार ने पूरे देश में नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। डेनमार्क सरकार के निर्णय के बाद अब कोई महिला सार्वजनिक स्थान पर अपने चेहरे को किसी तरह से ढक नहीं सकेगी। एक मुस्लिम महिला ने इस आदेश का उल्लंघन करने की घोषणा की है। ज्ञातव्य है कि फ्रांस यूरोप में पहला देश है जिसने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के बुर्का पहनने और नकाब लगाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इस प्रतिबंध से कई हजार मुस्लिम महिला प्रभावित हुई हैं। ज्ञातव्य है कि बेल्जियम में भी नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था मगर बाद में इसको हटा दिया गया।

II

तजाकिस्तान में जिहादी हमला

इंकलाब (2 अगस्त) के अनुसार तजाकिस्तान में आतंकवादियों ने हमला करके चार विदेशी मोटर साइकिल सवारों की हत्या कर दी। बताया जाता है कि एक कार में सवार आतंकवादियों ने पहले उन्हें रौंदने का प्रयास किया था जब वे जख्मी हो गए तो आतंकवादी कार से बाहर निकलकर उन्हें तलवारों से मार दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार मरने वाले अमेरिका, स्वीट्ज़रलैण्ड और नीदरलैण्ड के मोटरसाइकिल सवार थे। इसके अतिरिक्त इस हमले में तीन अन्य भी घायल हुए हैं। सुरक्षाकर्मियों ने आतंकवादियो का पीछा किया और इनमें से चार की हत्या कर दी जबकि पांचवे आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया। तजाकिस्तान के गृहमंत्री रमज़ान रहीमज़ादा ने बताया कि जिन लोगों ने यह हरकत की है उनकी पहचान कर ली गई है और हम इस पूरे गिरोह का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस संगठन से संबंधित कई लोग फरार हो गए हैं जिनको तलाश किया जा राह है।

III

शहबाज शरीफ के दामाद पर शिंकजा

सियासत (8 अगस्त) के अनुसार पाकिस्तान के भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय ने मुस्लिम लीग (नवाज) के पूर्व अध्यक्ष और पंजबा के पूर्व मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ के दामाद को फरार मुजरिम करार देकर उसकी गिरफ्तारी कि वारंट जारी कर दिए हैं। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व यही अदालत पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी पुत्री मरियम नवाज एवं उनके दामाद मुहम्मद सफदर अवान को भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपी करार देकर जेल में बंद कर चुकी है।

IV

चीन में अनेक मस्जिदें ध्वस्त

इंकलाब (11 अगस्त) के अनुसार चीन सरकार ने वेइज़होउ नगर की प्राचीन जामा मस्जिद को ध्वस्त करने का फैसला किया है। इस पर हजारों मुसलमानों ने चीन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। चीनी अधिकारियों का दावा है कि इस मस्जिद के

विस्तार के लिए सरकार से कोई अनुमति नहीं ली गई। इसलिए ये मस्जिदें अवैध रूप से बनाई गई हैं। चीन के ही एक अन्य क्षेत्र में भी कई मस्जिदों को सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। इसके खिलाफ चीनी मुसलमानों ने अपना विरोध प्रकट किया था। इस पर काफी मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया।

इंकलाब (14 अगस्त) के अनुसार चीन के सरकारी समाचारपत्र ने दावा किया है कि सरकार ने एल्गोर अतिवादी मुसलमानों के खिलाफ जो कार्रवाई की थी उसके कारण चीन इस्लामी गृहयुद्ध से बच गया है। दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार संरक्षण विभाग ने इस बात की निंदा की है कि अतिवादी मुसलमानों को चीन सरकार सामूहिक रूप से कैद कर रही है और उन्हें बड़े-बड़े कैम्पों में कैद किया जा रहा है। सिकयांग को गुलामों की बस्ती में बदल दिया गया है और उसकी आबादी एक करोड़ से अधिक है। इस क्षेत्र में मुसलमान चीन सरकार के बीच कई दशकों से सशस्त्र संघर्ष कर रही हैं और इस संघर्ष में हजारों मुसलमान मारे जा चुके हैं जबकि चीन सरकार ने दावा किया है कि अतिवादी मुसलमानों को पूर्वी तुर्किस्तान की पृथकतावादी सरकार प्रोत्साहन दे रही है और उन्हें अस्त्र-शस्त्र व आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रही है।

V

अमेरिकी कांग्रेस की पहली मुस्लिम महिला सदस्य

अखबार मशरिक (10 अगस्त) के अनुसार अमेरिका के इतिहास में एक मुस्लिम महिला रशीदा तलैब अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य में रूप में निर्वाचित हुई हैं। वह डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवार थीं। रशीदा तलैब ने अपने चुनाव अभियान में दस लाख डॉलर से भी अधिक का चन्दा एकत्रित किया और उन्हें 34 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी ब्रेंडा जोंस को मात्र 28 प्रतिशत मत ही प्राप्त हुए। यह महिला मूलरूप से जॉर्डन की रहने वाली है और इन दिनों अमेरिका में रह रही है। सूत्रों के अनुसार अमेरिका में कम से कम 90 मुस्लिम उम्मीदवार अमेरिकी कांग्रेस (लोअर हाउस) के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने राष्ट्रव्यापी अभियान भी शुरू कर दिया है।

VI

जर्मनी में आतंकवादियों की सम्पत्ति जब्त

अखबार मशरिक (21 जुलाई) के अनुसार जर्मनी की सरकार ने सौ के लगभग विदेशी मूल के लोगों की सम्पत्तियां जब्त कर ली हैं। इनमें से अधिकांश फ्लैट हैं। जर्मन अधिकारियों के दावे के अनुसार ये फ्लैट जिहादी संगठनों से जुड़े हुए लोगों के बताए जाते हैं। हाल में ही जर्मन सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसके अनुसार पुलिस को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वो आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए लोगों या बेनामी सम्पत्ति को जब्त कर सकती है। बताया जाता है कि जिन लोगों की सम्पत्ति जब्त की गई है उनमें से अधिकांश का संबंध लेबनान से हैं। जर्मन के एक सरकार वकील ने पत्रकारों को बताया कि जिन लोगों की सम्पत्ति को जब्त किया गया है उन्हें विदेशों से आतंकवादी सूत्रों से भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि सरकारी अनुमान के अनुसार 93 लाख यूरो की धनराशि उन्हें विदेशी सूत्रों से प्राप्त हुई थी। सरकारी वकील ने बताया कि इस मामले में जांच चल रही है और अन्य कई सम्पत्तियों के जब्त किए जाने की भी सम्भावना है। हाल में ही जिहादी संगठनों ने बर्लिन में एक बैंक को लुटा था। सरकारी सूत्रों के अनुसार जिहादियों ने इस बैंक के भवन में विस्फोट किया और वहां से 91 मिलियन यूरो लूट लिए। इस घटना के पीछे तौफीक नामक एक मुस्लिम व्यक्ति का हाथ पाया गया। सरकार का दावा है कि

लेबनान से जुड़े हुए जिहादियों के कई गिरोह जर्मनी में आतंकवादी गतिविधियों में जुटे हुए हैं और इस संबंध में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

VII

आत्मसमर्पण करने वाले जिहादियों को माफी का ऐलान

इंकलाब (6 अगस्त) के अनुसार अफगानिस्तान सरकार ने घोषणा की है कि देश में सरकारी सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण करने वाले जिहादियों को माफी दी जाएगी। यह माफी आईएसआईएस के आतंकवादियों को देने की घोषणा की गई है। अफगानिस्तान के सूबा ज़ोजान में कई सप्ताह से जारी युद्ध के बाद 150 जिहादी आतंकवादियों ने सरकारी सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण किया है। ज्ञातव्य है कि अफगानिस्तान में तालिबान और आईएसआईएस के समर्थकों के बीच देशभर में झड़पों का सिलसिला जारी है। जिसके कारण हजारों नागरिकों को अपनी जान बचाने के लिए पलायन करना पड़ रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार आईएसआईएस के जिहादी महिलाओं व बच्चों का सामूहिक रूप से अपहरण कर रहे हैं और उनसे सामूहिक बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। सरकारी प्रवक्ता मोहम्मद रज़ा गफ्फूरी ने कहा कि जो लोग आत्मसर्पण कर रहे हैं उन्हें कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। चाहे उनका कोई भी जुर्म हो। उन्होंने दावा किया कि सैकड़ों जिहादी देशभर में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश में शांति स्थापित हो।

अन्य

I

तीन तलाक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

सियासत (10 जुलाई) के अनुसार उत्तर प्रदेश में एक महिला ने पुलिस में शिकायत की है कि उसके पति ने उसे तीन तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया है। उसका कसूर यह था कि उसकी रोटी जल गई थी। पुलिस अधिकारी हंसराज यादव ने कहा कि जिला महोबा के गांव की ये घटना है। 24 वर्षीया एक महिला ने इस संबंध में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। इसके पति के खिलाफ शिकायत के आधार पर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस महिला का निकाह गत वर्ष हुआ था। इस महिला ने यह भी आरोप लगाा कि तीन तलाक देने से पूर्व उसके पति ने उसे जलती सिगरेट से घायल किया था। ज्ञातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अगस्त, 2017 को तीन तलाक को असंवैधानिक बताते हुए अवैध घोषित किया था।

II

जामिया मिलिया में इस्लामिया में महिला छात्राओं पर सख्ती

अखबार मशरिक (11 जुलाई) के अनुसार जामिया मिलिया इस्लामिया ने महिला छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को निर्देश दिया है कि वे नौ बजे तक वापस छात्रावास में आ जाएं और बाहर ना रहें। ज्ञातव्य है कि पहले ये समय रात्रि आठ बजे था मगर तीन माह पूर्व महिलाओं ने इसके खिलाफ जोरदार अभियान चलाया था। महिलाओं के दबाव पर जामिया के प्रशासन ने घोषणा की थी कि रात के 10.30 बजे तक महिलाएं बाहर रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त जामिया के प्रशासन ने किसी भी तरह का प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन के खिलाफ छात्राओं में गहरा रोष है। उनका कहना है कि वो वयस्क हैं और उनके जीवन में विश्वविद्यालय के प्रबंधकों को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है जबकि विश्वविद्यालय प्रबंधकों का कहना है कि ये फैसला अभिभावकों की शिकायत व सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए किया गया है। ज्ञातव्य है कि जामिया में छात्रों के सात होस्टल हैं और लड़कियों के चार होस्टल हैं। आसमा नामक छात्रा का कहना है कि हम वयस्क हैं और विश्वविद्यालय को हमारे नौ बजे के बाद जामिया से बाहर निकलने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। छात्रों ने एक ज्ञापन देकर जामिया के उपकुलपति से अनुरोध किया है कि होस्टल इंचार्ज को उसके पद से हटाया जाए और पुराने समय का बहाल किया जाए।

III

मुसलमानों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने की मांग

रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा (1 अगस्त) के अनुसार राज्यसभा सदस्य मजीद मेमन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को एक पत्र भेजकर यह मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार मुसलमानों को पांच प्रतिशत आरक्षण दे। मजीद मेमन ने अपने पत्र में कहा है कि जुलाई, 2014 में बम्बई उच्च न्यायालय ने आरक्षण के बारे में रिट् याचिका पर अपने निर्णय में सारे आरक्षण की मांगों को रद्द करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि मुसलमानों की शैक्षणिक और आर्थिक बदहाली को देखते हुए उन्हें पांच प्रतिशत आरक्षण देने पर विचार किया जा सकता है। इस फैसले की कॉपी के साथ मजीद मेमन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। एक वर्ष बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से उसका जवाब आया था मगर इस संदर्भ में कोई प्रगति नहीं हुई। मजीद मेमन ने कहा कि

उनकी पार्टी मराठाओं के आरक्षण का समर्थन करती है मगर इसके साथ यह भी जरूरी है कि सच्चर कमेटी और उच्च न्यायालय की राय को समक्ष रखते हुए मुसलमानों को पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

सहाफत (1 अगस्त) के अनुसार जन जागरण समिति के अध्यक्ष मोहसिन अहमद ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 10 अगस्त तक मुसलमानों को पांच प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया गया तो मुसलमान मराठाओं के साथ मिलकर राज्यभर में विरोध-प्रदर्शन शुरू कर देंगे। मुस्लिम नेताओं की एक बैठक में सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि वो मुसलमानों से न्याय नहीं कर रही है। पुरानी सरकार ने रंगनाथ मिश्र और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मराठा समाज के लिए सोलह प्रतिशत और मुसलमाों को पांच प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी। मगर वर्तमान सरकार ने मुसलमानों से विद्वेष के आधार पर मराठा समाज का आरक्षण तो बनाए रखा मगर मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया। उन्होंने शिकायत की कि मुसलमानों का समर्थक होने का दावा करने वाली कांग्रेस ने इस मुद्दे पर क्यों चुप्पी साध रखी है।

IV

पत्नियों को छोड़ने वाले एनआरआई पुरुषों पर होगी कार्रवाई

इत्तेमाद (28 जुलाई) के अनुसार विदेश मंत्रालय पत्नियों को छोड़कर विदेशों में रहने वाले हिन्दुस्तानियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। समाचारपत्र के अनुसार पहले समन और इसके बाद वारंट जारी किया जाएगा। अगर अप्रवासी भारतीय इसका जवाब नहीं देता तो उसे फरार करार दिया जाएगा और सम्पत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक सम्मेलन में कहा कि सरकार उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कर रही है जो अपनी पत्नियों को छोड़कर विदेश चले जाते हैं। इस लक्ष्य से एक विशेष वेबसाइट बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जनवरी, 2015 से लेकर नवम्बर, 2017 के दौरान ऐसी 3,328 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें हिन्दुस्तानी महिलाओं को उनके पतियों ने छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि ये एक गम्भीर समस्या है और इसमें हम संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसे पति हाजिर नहीं होते तो उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे।

V

हैदराबाद बना जिहादियों का गढ़

सियासत (8 अगस्त) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हैदराबाद के आठ युवकों से आतंकी संगठन आईएसआईएस से संबंध रखने के आरोप में कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जाता है कि 2016 में एनआईए ने नई दिल्ली में चार हैदराबादी युवकों को आईएसआईएस से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इनमें से दो का संबंध हैदराबाद से है। जांच के दौरान पता चला है कि इन युवकों को जिस व्यक्ति ने इस जिहादी संगठन में भर्ती किया था उसके तार अबू धाबी से जुड़े हुए हैं। एक अन्य समाचार के अनुसार भाजपा तेलंगना प्रदेश अध्यक्ष डॉ. के. लक्ष्मण ने आरोप लगाया कि हैदराबाद जिहादी आतंकवादियों का गढ़ बन गया है। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि देश में कहीं भी आतंकवादी हमला होता है तो उसके तार देश से जुड़े हुए होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगना सरकार को इस गम्भीर स्थिति की पूरी जानकारी है। मगर मत बटोरने के लोभ में वह दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवई नहीं कर रही है। हाल में ही पुराने शहर में एनआईए ने संदिग्ध लोगों के मकानों पर छापे मारकर भारी मात्रा में विस्फोटक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बरामद किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुराने नगर में रोहिंग्या मुसलमानों की एक अवैध कॉलोनी बसा दी गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हजारों नागरिक हैदराबाद में

गैर-कानूनी तरीके से रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब आतंकवादियों के तार निजामाबाद और नालगोंडा तक पहुंच गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश की सीमा को अवैध रूप से पार करने के आरोप में जिन 12 युवकों को पकड़ा गया था उन्हें पुलिस ने मामूली पूछताछ के बाद छोड़ दिया था और अब ये युवक पुन: सक्रिय हो गए हैं।

VI

जमीयत उलेमा ए हिन्द में फूट

सहाफत (26 जुलाई) के अनुसार दिल्ली की जमीय उलेमा ए हिन्द में जबर्दस्त मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। इन मतभेदों की शुरूआत दो सप्ताह पूर्व हुई। जब जमीयत के विद्रोही गुट ने एक अधिवेशन बुलाकर दिल्ली जमीयत उलेमा ए हिन्द के अध्यक्ष मौलाना आबिद कासमी को उनके पद से हटाकर अन्य सभी पदाधिकारियों को भी संगठन से बाहर कर दिया। इसके जवाब में मौलाना आबिद कासमी ने शास्त्री पार्क में एक बैठक का आयोजन किया जिसमें दिल्ली जमीयत की कार्यकारिणी के 21 सदस्यों में से 18 सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में दावा किया गया कि विरोधी गुट ने जो चुनाव किया है वो अवैधानिक है। बैठक में तीन उपाध्यक्षों मौलाना मोहम्मद दाउद अमीनी, शेख अलीमुद्दीन असदी और कारी अब्दुल समी को संगठन से बर्खास्त कर दिया।

VII

जामिया हमदर्द को सउदी अरब द्वारा पचास लाख डॉलर का अनुदान

सियासत (10 अगस्त) के अनुसार दिल्ली के इस्लामी विश्वविद्यालय जामिया हमदर्द और सउदी अरब सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसके अनुसार सउदी अरब के सम्राट शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने हमदर्द विश्वविद्यालय को पचास लाख अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया है। इस अनुदान से जामिया हमदर्द के मेडिकल कॉलेज और मजीदिया हॉस्टल का विस्तार किया जाएगा। हॉस्टल के नए भवन का नाम शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के नाम पर रखा जाएगा। इस समझौते में यह भी तय किया गया है कि जामिया हमदर्द और सउदी अरब के विश्वविद्यालय अल इमाम मोहम्मद बिन सउद इस्लामिक विश्वविद्यालय के बीच छात्रों और प्राध्यापकों के स्तर पर सम्पर्क को बढ़ाया जाएगा। दोनों इस्लामी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम और अनुसंधान के मामलों में एक-दूसरे को सहयोग देंगे। इसके अतिरिक्त छात्रों और प्राध्यापकों का भी आदान-प्रदान किया जाएगा।

भारत नीति प्रतिष्ठान द्वारा
उर्दू समाचारपत्रों का विश्लेषण की सूची

1. दावत, दिल्ली
2. दैनिक इंकलाब, दिल्ली
3. अखबार मशरिक, दिल्ली
4. दैनिक सहाफत, दिल्ली
5. रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली
6. हिंदुस्तान एक्सप्रेस, दिल्ली
7. हिंद समाचार, जालंधर
8. दैनिक प्रताप, जालंधर
9. दैनिक मुंसिफ, हैदराबाद
10. दैनिक सियासत, हैदराबाद
11. दैनिक हमारा समाज, दिल्ली
12. आल्मी सहारा, दिल्ली
13. औरंगाबाद टाइम्स, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
14. जदीद मरकज़, लखनऊ
15. साप्ताहिक नई दुनिया, दिल्ली
16. दैनिक इत्तेमाद, हैदराबाद
17. जदीद मेल, दिल्ली
18. सियासी तकदीर, दिल्ली
19. उर्दू, एक्शन, भोपाल
20. साप्ताहिक चौथी दुनिया, दिल्ली
21. साप्ताहिक अखबार नव, दिल्ली
22. दैनिक मिलाप, दिल्ली
23. कौमी तंजीम, पटना
24. दैनिक जदीद ख़बर, दिल्ली

आप अपनी राय, जानकारियां, उर्दू पत्रों से समाचार प्रतिष्ठान को भेजें। संपादक मंडल उसे अगले अंकों में संपादकीय नीति के तहत स्थान देने का प्रयास करेगा।

RNI No. DELHIN/2017/72722

INDIA POLICY FOUNDATION
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

डी–51, प्रथम तल, हौजखास,
नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26524018
फैक्स : 011–46089365
ईमेल : indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.indiapolicyfoundation.org